बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026

संख्या–06/ईवी नीति–13–02/2026 3748 /पटना, दिनांक 15/05/2026

इलेक्ट्रिक वाहन प्रक्षेत्र में, हाल के तकनीकी–आर्थिक विकास और बिहार के नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता के आधार पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए **'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'** का सूत्रण करते हुए अधिसूचना संख्या–9172 दिनांक–05.12.2023 प्रकाशित की गई थी। उक्त नीति को निम्न प्रकार संशोधित किया जा सकेगा।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–

(i) यह नीति बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होगा।

2. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका–4 का संशोधन। – उक्त नीति की कंडिका–4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

4.मिशन– एक दीर्घकालिक परिवहन पारिस्थितिकी का विकास करना, जो 2030 तक अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता पर केन्द्रित हो।

3. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका–5 का संशोधन। – उक्त नीति की कंडिका–5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

5.लक्ष्य– यह सुनिश्चित करना कि 2030 तक बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन होने वाले नये वाहनों में से 30% इलेक्ट्रिक वाहन हों।

4. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 की कंडिका–7 का संशोधन। – उक्त नीति की कंडिका–7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

7. इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित ग्राहयता (adoption) के लिए प्रोत्साहन

7.1 "मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना" अन्तर्गत बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Electric Vehicle), जो विर्निदिष्ट दिशा निर्देश के अनुरूप क्रय किये गए हों, को इस नीति एवं योजना के प्रभावी रहने की अवधि में निम्नरूपेण प्रोत्साहन की राशि देय होगी–

(I) इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के लिए–

इलेक्ट्रिक वाहन का प्रकार	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन	रू0 50,000/– प्रति वाहन	रू0 60,000/– प्रति वाहन

(II) इलेक्ट्रिक गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए–

इलेक्ट्रिक वाहन का प्रकार	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए
इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन	महिलाओं के लिए रू0 12,000/– प्रति वाहन	
	रू0 10,000/– प्रति वाहन	रू0 12,000/– प्रति वाहन
इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (केवल महिलाओं के लिए)	रू0 1,00,000/– प्रति वाहन	

यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए ही मात्र देय होगा।

7.2 सभी प्रकार के वाहनों के लिए सामान्य प्रावधान

(i) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (दुपहिया/ तिपहिया यात्री वाहक एवं मालवाहक/चारपहिया/हल्के मालवाहक/ भारी वाहन–बस तथा मालवाहक) को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय किये एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों के वाहन स्वामी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अपने पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के भी पात्र होंगे।

(iii) ऊपर वर्णित सभी प्रकार के बिहार राज्य में क्रय किये एंव निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहन (Pure Electric Vehicle) के लिए प्रोत्साहन देय होगा।

(iv) सार्वजनिक पार्किंग:– नगरीय एवं अन्य प्राधिकार द्वारा सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नगर/शहर द्वारा सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जाएगा।

(v) लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजना के तहत एक से अधिक समरूप प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vi) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अन्तर्गत अधिकृत सेवा प्रदात्ताओं को अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति 50% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन उनके दुपहिया वाहनों के बेड़ा में शामिल करने होंगे। इस नीति का अनुपालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कर्रवाई की जा सकेगी।

(vii) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए वर्ष 2030 तक अधिकतम दुपहिया इलैक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा।

(viii) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश, 2019 के अन्तर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। इस नीति का अनुपालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

(ix) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (यात्रीवाहक/ मालवाहक), चारपहिया वाहन, हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (मालवाहक), भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

(x) नगर विकास एवं आवास विभाग अपने भवन उप विधि में इस आशय का संशोधन लाएगी कि कोई भी बहुमंजिला ईमारत, शॉपिंग मॉल, बड़े आवासीय परिसर तथा वैसे सभी बड़े संरचनाओं वाले ईमारत में चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य करेगी।

(xi) सभी पेट्रोल पम्प को लाईसेंस निर्गत किए जाने के समय इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के अधिष्ठापन से संबंधित कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही पूर्व से परिचालित सभी पेट्रोल पम्प/गैस स्टेशन शीघ्रातिशीघ्र अपने परिसर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अधिष्ठापित करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

(xii) बड़े होटल्स एवं सड़क मार्ग पर अवस्थित सभी मोटल्स में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का अधिष्ठापन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

5. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका–8 का संशोधन। – उक्त नीति की कंडिका–8 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

8. <u>चार्जिंग स्टेशन हेतु आधारभूत संरचना</u>

8.1 <u>चार्जर का प्रकार एवं प्रोत्साहन</u>

चार्जिंग की आधारभूत संरचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्राहयता की कुंजी है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार निम्नांकित कोटि के चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर स्थापित किए जा सकते हैं एवं इस हेतु कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि चार वर्षों तक ही देय होगीः–

<u>कोटि–1</u>: इलेक्ट्रिक वाहन –ए0सी0 चार्जर (3-Guns) धीमा / मध्यम चार्जरः

- <u>प्रोत्साहन :</u> प्रथम 900 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण / मशीन के क्रय पर 75% तथा 15,000 /– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 75,000 /– रू0 ही देय होगा।

<u>कोटि–2</u>: इलेक्ट्रिक वाहन–ए0सी0 चार्जर (2-Guns) तेज चार्जरः

- <u>प्रोत्साहन :</u> प्रथम 450 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण / मशीन के क्रय पर 75% तथा 37,500 /– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 2,25,000 /– रू0 ही देय होगा।

<u>कोटि–3</u> : इलेक्ट्रिक वाहन–डी0सी0 चार्जर (2-Guns) धीमा / मध्यम चार्जरः

- <u>प्रोत्साहन :</u> प्रथम 450 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण / मशीन के क्रय पर 75% तथा 37,500 /– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 2,25,000 /– रू0 ही देय होगा।

<u>कोटि–4</u> : सी0सी0एस0 / CHAdeMO चार्जर (2-Guns) तेज चार्जरः

- <u>प्रोत्साहन :</u> प्रथम 90 चार्जर के लिए प्रति चार्जर [illegible]करण / मशीन के क्रय पर 50% तथा 1,50,000 /– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का [illegible] छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 15,00[illegible] /– रू0 ही देय होगा।

6. 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023' की कंडिका–9 [illegible] संशोधन। – उक्त नीति की कंडिका–9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

9. संचालन मॉडल

भू– स्वामित्व, स्थापना का प्रकार, संचालन, संधारण तथा उपयोग के आधार पर राज्य में चार्जिंग स्टेशन के निम्नांकित मॉडल क्रियान्वित किए जाएँगे:–

9.1 सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

PM E-Drive Scheme के तहत निर्धारित दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जायेगा एवं निर्धारित मापदंड पर चार्जिंग स्टेशन अधिष्ठापित किया जायेगा।

9.1.1 PM E-Drive योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका–6 में वर्णित कोटि–A के अनुसार सभी सरकारी स्थलों पर चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जायेगी। इन स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन राशि के पात्र नहीं होंगे।

9.1.2 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत प्राक्कलित बजटीय उपबंध की राशि का उपयोग PM E-Drive योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका–6 में वर्णित कोटि–B के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देय निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त Upstream Infrastructure पर 20 प्रतिशत तथा EV Supply Equipment पर 30 प्रतिशत राशि का व्यय बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त नहीं अथवा कम होने के स्थिति में PM E-Drive योजना के क्रियान्वयन पर किया जा सकेगा।

9.1.3 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत प्राक्कलित बजटीय उपबंध की राशि का उपयोग PM E-Drive योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका–6 में वर्णित कोटि–C के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देय निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त Upstream Infrastructure पर 20 प्रतिशत तथा EV Supply Equipment पर 100 प्रतिशत राशि का व्यय बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त नहीं अथवा कम होने के स्थिति में PM E-Drive योजना के क्रियान्वयन पर किया जा सकेगा।

9.1.4 उक्त नीति अन्तर्गत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना

(ii) व्यावसायिक उपयोग मात्र के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन सरकारी भूमि एवं निजी भूमि पर स्थापित किये जा सकते हैं।

(iii) बिहार सरकार का कोई निगम, बोर्ड, स्थानीय नगर निकाय एवं लोक उपक्रम अपने स्वामित्व की भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका–8 के अनुरूप प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

9.1.5 उक्त नीति अन्तर्गत अर्द्धसार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना

सभी सरकारी भूमि, गैर आवासीय भवनों के स्वामी के निजी एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु एवं बाजार संघ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) एवं 5 समतुल्य बाइक स्पेस चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका–8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। हालाँकि किसी खास स्थान पर अधिकतम 5 (पाँच) EV चार्जर के लिए ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।

9.2 निजी चार्जिंग स्टेशन

आवासीय भवनों के स्वामियों/आवासीय कल्याण संघों/सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा निजी प्रयोजन हेतु स्थापित चार्जिंग स्टेशन।

सभी आवासीय भवनों के स्वामी/आवासीय कल्याण संघ/सरकारी गृह निर्माण समितियाँ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) के लिए चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका–8 में वर्णित शर्तों के अधीन कोटि–1 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

9.3 सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए सामान्य प्रावधान

(i) सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक–14.01.2022 एवं उसके पश्चात् निर्गत संशोधनों एवं प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, उनकी अवस्थिति एवं वितरण भी उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक–14.01.2022 एवं उसके पश्चात निर्गत संशोधनों के अनुसार होगी।

(iii) सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सदस्यों को चिन्हित पार्किंग क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संबंधित को अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत किया जा सकेगा।

(iv) पेट्रोल पंपों द्वारा भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा सकेगा, बशर्ते चार्जिंग स्टेशन का क्षेत्र विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रासंगिक प्राधिकार के अग्नि एवं सुरक्षा मापदंड को पूर्ण करते हों।

(v) ईवी चार्जिंग स्टेशनों का स्थापना राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी ऑपरेटरों या सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

(vi) इस नीति के प्रभावी रहने के अवधि के अन्दर स्थापित किये जाने वाले पहले 1000 (एक हजार) या 50 मेगावाट (जो भी अधिक हो) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकारी भूमि 50 प्रतिशत व्यय की दर पर आवंटित की जायेगी।

(vii) चार्जिंग स्टेशन सेवा प्रदाता अपने परिसर में कैप्टिव उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकेंगे और राज्य के अंदर स्थित उत्पादन संयंत्रों से ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत भी प्राप्त कर सकेंगे, ताकि ईवी चार्जिंग की स्थापना की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों की अवधि के लिए समान संचरण और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत की छुट का लाभ उठा सके।

(viii) उपरोक्त लाभ एकल सेवा प्रदाता के स्वामित्व आदि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के श्रृंखला के लिए भी उपलब्ध होंगे।

(ix) राज्य ईवी चार्जिंग स्टेशनों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा से संवर्द्धन और उपयोग के संबंध में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करेगा।

(x) कंडिका–8–(i) के अनुसार प्रोत्साहन राशि मात्र उन व्यक्तियों एवं इकाईयों को दी जायेगी, जिन्होंने बिहार सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।

(xi) प्रोत्साहन केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा, जो Bharat EV Charger (BEVC-AC001 and BEVC-DC001) की विशिष्टिताओं को पूर्ण करता हो।

(xii) प्रोत्साहन राशि मात्र उन व्यक्तियों एवं इकाईयों को दी जायेगी, जिनके द्वारा ऑन लाईन विभागीय पोर्टल पर आवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. उक्त नीति अन्तर्गत कंडिका–7.1 में अंकित इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से संबंधित अनुदान मात्र वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए प्रभावी रहेगा। नीति के शेष प्रावधान वित्तीय वर्ष 2029–30 तक के लिए प्रभावी होगी।
8. उक्त नीति के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित वाहनों के लिए कंडिका–7 के अनुरूप एवं राज्य में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु कंडिका–8 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि का दावा अनुमान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राज कुमार) 15/05/2026
सचिव

ज्ञापांक :– 06/ईवी नीति–13–02/2026 3748 /पटना, दिनांक :– 15/05/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सचिव 15/05/2026

ज्ञापांक :– 06/ईवी नीति–13–02/2026 3748 /पटना, दिनांक :– 15/05/2026

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग/ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 15/05/2026

ज्ञापांक :– 06/ईवी नीति–13–02/2026 3748 /पटना, दिनांक :– 15/05/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,

(29)

बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) /सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/ सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
15/05/2026

ज्ञापांक :– 06/ईवी नीति–13–02/2026 3748 /पटना, दिनांक :– 15/05/2026

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

सचिव
15/05/26